


सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की

धारा 4(1) (बी) के अंतर्गत

सूचना हैंडबुक



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

भारत सरकार

अस्वीकरण

चूंकि "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" के प्रावधानों के तहत इस सूचना हैंडबुक को यथासंभव प्रामाणिक रूप से तैयार करने के लिए सभी संभव प्रयास किए गए हैं, इस हैंडबुक में उपलब्ध सूचना जानकारी में कमी, दोष या अशुद्धि से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचता है, तो, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा | यदि इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो सुधार के लिए इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संज्ञान में निम्नलिखित पते पर लाया जा सकता है :-

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मुख्य कार्यालय
14, भीकाजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066
ई-मेल :- cpfc-epfo@nic.in

विषय-सूची

अध्याय	विषय
1	परिचय
2	ईपीएफओ के कार्यों और कर्तव्यों का ब्यौरा
3	संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
4	पर्यवेक्षण और जवाबदेही सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाए गए नियम
5	संगठन के कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित किए गए मानदंड
6	संगठन के अधीन या नियंत्रण में रखे जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड
7	संगठन के नियंत्रण या अधीन रखे जाने वाले दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण
8	बोर्डों, परिषदों, समितियों एवं अन्य सार्वजनिक निकायों का विवरण
9	संगठन के कार्यालयों और अधिकारियों की निर्देशिका
10	मासिक पारिश्रमिक और वेतनमान
11	शिकायत निवारण तंत्र एवं सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं
12	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य

	विवरण
--	-------